राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग
5/9, अण्डर हिल रोड़, दिल्ली –110054

सं. एफ 19(04)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2019/67434 दिनांक 27/7/21

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

विषय :– दिनांक 29/07/2021 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या – 51

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ संलग्न है।

(विकास जैन)
पीसीओ (सचि0)

VIKAS JAIN
Pollution Control Officer
Transport Department
5/9, Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम — परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता — 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली — 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या — 51

सदस्य का नाम — श्री विशेष रवि,

दिनांक — 29.07.2021

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क. सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	मेरे द्वारा आयुक्त परिवहन को लिखे गए पत्र क्रमशः दिनांक 22.10.20, संदर्भ संख्या 114957, दिनांक 03.11.20 संदर्भ 116278, दिनांक 29.10.20 संदर्भ 116220 तथा दिनांक 31.08.20 संदर्भ 114979 पर क्या कार्रवाई की गई है; और	पत्र दिनांक 22.10.2020 संदर्भ संख्या 114957 के बारे में दिल्ली परिवहन निगम ने मान्नीय विधायक को दिनांक 17.12.2020 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम के बेडे में संसाधनों के अभाव में आपकी मांग के अनुसार नई बस सेवा चलाना व रूट संख्या 610 पर बसें बढ़ाना सम्भव नहीं है। देव नगर से यात्री रूट संख्या 610 का लाभ प्राप्त करके तालकटोरा रोड़ तथा यहाँ से एयरपोर्ट एक्प्रैस व रूट संख्या 729 बी का लाभ प्राप्त करके अपने गंतव्य तक पहुँच सकते है। भविष्य में दिल्ली परिहवन निगम के बेड़े में संसाधनों की वृद्धि होने पर आपकी मांग अनुसार बस चलाने पर अवश्य विचार किया जाएगा। पत्र दिनांक 03.11.2020 संदर्भ संख्या 116278 को राज्य परिहवन प्राधिकरण शाखा ने उचित कार्यवाही करने के लिए दिल्ली मैट्रो को प्रेषित कर दिया था। पत्र दिनांक 29.10.2020 संदर्भ संख्या 116220 के बारे में दिल्ली परिवहन निगम ने मान्नीय विधायक को दिनांक 07.12.2020 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि आपकी मांग एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु देवनगर के बस स्टाप का नाम बदलाव करके "देवनगर/सत गुरू रविदास मंदिर" के नाम से रूट प्लेट लगा दी गई है। पत्र दिनांक 31.08.2020 संदर्भ संख्या 114979 के द्वारा ई–रिक्शा (यात्री/मालवाहक) को कम्पोजिट लोन स्कीम के अंर्तगत DSDFC द्वारा 50,000 के लोन दिलाने के बारे में आग्रह किया गया था। जिसे दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पत्र दिनांक 03.10.2020 के द्वारा DSDFC को उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया

Joint Commissioner
Transport Department
Government of NCT of Delhi

		गया था जिसकी प्रतिलिपि मान्नीय विधायक को भी प्रेषित की गयी थी।
ख)	उक्त पत्रों में पूछे गए मामलों की वर्तमान स्थिति का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ।	पत्र दिनांक 22.10.2020 संदर्भ संख्या 114957 में दिए गए जवाब के अनुसार यथावत स्थिति बनी हुई है। दिल्ली मैट्रो द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार करोल बाग मैट्रो स्टेशन से चन्द्र विहार वाया देवनगर, पंजाबी बाग, ज्वाला हेडी, आईएफसीआई कॉलोनी, एसबी नगर, मीरा बाग, नांगलोइ सयद रूट नम्बर एमएल 67 एसटीए परमिट के अनुसार निर्धारित है। पत्र दिनांक 31.08.2020 संदर्भ संख्या 114979 में कार्यवाही DSDFC से संबन्धित है।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(डा0 नवलेन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त आयुक्त (परिहवन)

Dr. Navlendra Kumar Singh
Joint Commissioner
Transport Department
Government of NCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054